

सेवा मे

40142
7/6/2022

श्रीमान अपीलीय अधिकारी/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूखण्ड संख्या 1 नॉलेज पार्क 4, ग्रेटर
नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर।

अपील संख्या-

सन् 2022

बलराज सिंह भाटी पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी ग्राम खेडा चौगानपुर, थाना इकोटेक
तृतीय जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा अधिवक्ता श्री रविन्द्र सिंह भाटी एडवोकेट चैम्बर नंबर
693 गली नं0 18 सिविल कोर्ट सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

.....प्रार्थी/अपीलार्थी

बनाम

श्रीमान जनसूचना अधिकारी/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास
प्राधिकरण भूखण्ड संख्या 1 नॉलेज पार्क 4, ग्रेटर नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर।

.....विपक्षी

विषय:-प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 निम्न प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने दिनांक 06.05.2022 को विपक्षी के कार्यालय मे जन
सूचना अधिकारी से कुछ सूचनाये मांगने के सम्बन्ध मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
था लेकिन आपके कार्यालय से जन सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन व्यतीत हो जाने
के पश्चात भी आज तक कोई सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध नही करायी गयी

2. यह कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने विपक्षी से निम्न सूचनाये चाही थी:-

अ) यह कि खसरा संख्या 319,320,321,322,323,324,325 स्थित ग्राम खैरपुर गुर्जर,
तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर का कितना-कितना भाग ग्रेटर नौएडा विकास
प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

ब) यह कि खसरा संख्या 319,320,321,322,323,324,325 स्थित ग्राम खैरपुर गुर्जर,
तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर का अर्जित क्षेत्रफल क्या किसी व्यक्ति फर्म अथवा
संस्थान को आवंटित किया गया है, उसका विवरण प्रदान करने की कृपा करें।

R.T.I-20558 (LAW)
App.No.-3504 (LAW)
08.6.22
102/16

40143
7/6/2022

सेवा मे

श्रीमान अपीलीय अधिकारी/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूखण्ड संख्या 1 नॉलेज पार्क 4, ग्रेटर नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर।

अपील संख्या-

सन् 2022

बलराज सिंह भाटी पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी ग्राम खेडा चौगानपुर, थाना इकोटेक तृतीय जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा अधिवक्ता श्री रविन्द्र सिंह भाटी एडवोकेट चैम्बर नंबर 693 गली नं0 18 सिविल कोर्ट सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा जिला गौतमबुद्धनगर।
.....प्रार्थी/अपीलार्थी

बनाम

श्रीमान जनसूचना अधिकारी/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूखण्ड संख्या 1 नॉलेज पार्क 4, ग्रेटर नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर।
.....विपक्षी

विषय:-प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 निम्न प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने दिनांक 16.04.2022 को विपक्षी के कार्यालय मे जन सूचना अधिकारी से कुछ सूचनाये मांगने के सम्बन्ध मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन आपके कार्यालय से जन सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज तक कोई सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2. यह कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने विपक्षी से निम्न सूचनाये चाही थी:-

3. यह कि शाकुम्भरी इन्फोटेक प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर 1. ईश्वर सिंह 2. मनीष कुमार 3. मनीष कुमार एक कंस्ट्रैक्शन फर्म है। उक्त शाकुम्भरी इन्फोटेक प्रा0लि0 को अन्तिम बार कार्य करने के लिए कब कार्य आवंटित किया गया था तथा उक्त फर्म ने अवंटित कार्य कब पूर्ण कर दिया था?

4. यह कि विपक्षी द्वारा दिनांक 16.04.2022 से आज तक प्रार्थी/अपीलार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है और ना ही सूचना उपलब्ध ना कराने का ही कोई युक्ति युक्ति कारण स्पष्ट किया है। जिससे विपक्षी की मंशा साफ प्रकट होती है। विपक्षी जानबूझकर प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा मांगी गयी सूचनाये उपलब्ध नहीं करा रहा है।

4. यह कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचनाये मांगे जाते समय उचित शुल्क पोस्टल ऑर्डर संख्या- पोस्टल ऑर्डर संख्या 54एफ 761310 अंकन 10 रुपये के माध्यम से जमा करा दिया था।

R.T.I. 20487
Appi No- 250236/mca/2022
08.6.22
6.2.22